उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-71/2020/ 3323 /30-3-20-18बी/2016

लखनऊ, दिनॉक 18 सितम्बर, 2020

संशोधन/शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अन्तर्लेखा संक्रमण हेतु प्रावधानित धनराशि को सड़क सुरक्षा कोष में जमा किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-68/2020/1803/30-3-20-18बी/2016 दिनांक 31-08-2020 निर्गत किया गया है, जिसमें प्रस्तर-2 की प्रथम पक्ति में वित्तीय वर्ष 2020-21 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-20 त्रुटिवश अंकित हो गया है।

2- अत: शासनादेश दिनांक 31-08-2020 के प्रस्तर-2 की प्रथम पक्ति में वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020-21 पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 31-08-2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-71/2020/3323(1)/30-3-2020, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- गृह (पुलिस) अनुभाग-2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।